श्रीगंगानगर 148 36

की गई थी । लेकिन धारा 4(1) के द्वितीय परन्तुक के तहत देखे जाने पर उसके पास 71.4 बीघा रकबा था । अप्रार्थी 5 सदस्यों के परिवार के आधार पर 46.08 बीघा रकबा धारण कर सकता था अतिरिक्त भूमि सीलिग सीमा से अधिक है जो अधिग्रहण योग्य है

इसके विरोध में लायक वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी के विरूद्व पुराने कानून के तहत सीलिग प्रकरण संख्या 2221/71 अनवान सरकार बनाम जगजीतसिह दिनाक 9.9.71 को निर्णित हो चुका है अतः प्रोविजो के तहत नही देखा जा सकता । इस सम्बन्ध में नजीर आर आर डी 1994 पेज 70 स्टेट बनाम जोरासिह , आर आर डी 1991 पेज 41 करनैल सिह बनाम सरकार पेश की वकील अप्रार्थी का तर्क है कि उक्त नजीरो के आधार पर यदि पुराने कानून का निर्णय अन्तिम हो चुका है व उसे राज्य सरकार द्वारा पुनः नही खोला गया है तो धारा 4 (1) का द्वितीय परन्तुक लागू नही होगा उनका यह भी तर्क है कि रकबा जददी जायदाद का था । जददी जायदाद में अप्रार्थी के पुत्रों का बराबर का हिस्सा है जिसे विभक्त किये जाने पर अप्रार्थी के पास सीलिग सीमा से अधिक रकबा नही था । अतः कार्यवाही हाजा समाप्त की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सम्बधित तहसीलदार की रिपोर्ट , अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली , राज्य सरकार द्वारा पुनः खोले गये आदेशो व माननीय राजस्व मण्डल के आदेश का अवलोकन किया ।

नया कानून

नये कानून के तहत निर्धारित तिथि 1.1.73 को देखे जाने पर तहसीलदार की रिपोर्ट 1.12.84 के अनुसार अप्रार्थी व उसके परिवार के पास अप्रार्थी स्वयं के पास 25.19 बीघा नहरी दर्शनसिह प्रसन्नसिह पि0 जगजीतसिह के पास 20.18 बीघा , दर्शनसिह के पास 14.16 बीघा नहरी , प्रसन्नसिह के पास 15 बीघा , बलदेवसिह के पास 19.16 बीघा नहरी भूमि इस प्रकार कुल 96.04 बीघा रकबा था । इसके अतिरिक्त तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट 13.5.85 के अनुसार अप्रार्थी के पास 67 बीघा रकबा 1.1.73 के बाद खरीद किया गया था ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी नये कानून में निर्धारित तिथि 1.1.73 को 96.04 बीघा रकबा था । मुताबिक रिपोर्ट 1.1.73 को अप्रार्थी स्वयम 41 साल , जसपाल कोर पत्नी 38 साल , दर्शनसिह पुत्र 24 साल , प्रसन्नसिह पुत्र 21 साल , बलदेवसिह पुत्र 17 साल कुल 5 सदस्य थे , व्यस्क पुत्रों सहित अप्रार्थी के परिवार में 3 इकाईयां थी जो उक्त 96.04 बीघा रकबा धारण करने के पात्र थे ।

इसके अतिरिक्त 1.1.73 के बाद की स्थिति देखे जाने पर अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट के आधार पर 67.00 बीघा रकबा ओर क्रय किया । इस प्रकार धारा 17 के तहत further acquisition के अर्न्तगत वर्तमान स्थिति देखे जाने पर उसके पास 163.04 बीघा रकबा हो जाता है । लेकिन अप्रार्थी का पुत्र बलदेवसिह जो 1.1.73 को 17 साल का था वह बालिग हो जाता है । तथा प्रार्थी के परिवार में कुल 4 इकाईयां हो जाती हैं । कुल चार इकाईयों के आधार पर अप्रार्थी उक्त रकबा धारण कर सकता था ।

धारा 4(1) का द्वितीय परन्तुक

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मुख्यतः प्रकरण इस आधार पर रिमान्ड किया गया है इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नजीरों के परिपेक्ष्य में मामले का अवलोकन किया गया यद्यपि अप्रार्थी के विरूद्व उक्त वर्णित पुराने कानून के तहत प्रकरण चला लेकिन माननीय

श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर

राजस्व मण्डल द्वारा रिमान्ड आदेश में निदेशित किया गया है कि धारा 4 (1) के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धो के तहत प्रकरण देखा जाना आवश्यक है ।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार धारा 4(1) के द्वितीय परन्तुक के तहत पुराने कानून में धारण की जा सकने वाली जोत सीमा के सम्बन्ध में देखे जाने पर अप्रार्थी के पास 1.4.66 को 71.04 बीघा रकबा था । उसके परिवार में 1–4–66 को अप्रार्थी स्वयम 41, पत्नी जसपाल कोर 38, दर्शनसिह , 17, प्रसन्नसिह 14, बलदेवसिह 10 साल इस प्रकार कुल 5 सदस्य थे । जो एक परिवार के लिये 46.08 बीघा भूमि धारण कर सकते थे । जहां तक जददी जायदाद का प्रशन है जरिये इन्तकाल संख्या 9 दिनाक 29.12.61 अप्रार्थी को 21.00 बीघा रकबा अपने पिता से प्राप्त हुआ । जहां तक उक्त जददी जायदाद में नोशनल हिस्सा विभक्त करने का प्रशन है उक्त 21.00 बीघा रकबा अप्रार्थी व उसके पुत्रों में बराबर विभक्त करने पर प्रत्येक के हिस्सा में 5.04 बीघा रकबा आता है लेकिन उक्त वर्णन के अनुसार अप्रार्थी के पुत्र 1.4.66 कोअव्यस्क थे व अप्रार्थी पर आश्रित थे अप्रार्थी द्वारा किसी भी साक्ष्य के आधार पर यह सिद्व नही करवाया गया है कि उसके लडके उस पर आश्रित नही थे । अतः साक्ष्य के अभाव में उन्हे पिता पर आश्रित ही माना जावेगा । अतः समस्त भूमि अप्रार्थी के साथ जोडी जावेगी । अतः अप्रार्थी के पास 1.4.66 को 71.04 बीघा नहरी रकबा था वह एक परिवार के लिये 46.08 बीघा रकबा धारण कर सकता था इसके अतिरिक्त बाकी 24.16 बीघा रकबा सीलिग सीमा से अधिक था जिसे राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश दिये जाते हैं ।

सिलिगधारी नियमानुसार निर्धारित एक माह में ओप्शन पेश करे । नियत अवधि तक ओप्शन पेश नही करने पर तहसीलदार करणपुर राज्य हित मे अधिग्रहित भूमि का कब्जा बहक राज लेवे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रतनसिंह लाम्बा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता
श्री गगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय)
श्रीगंगानगर

88/82

A2
35

147

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर राजस्थान
प्रकरणसंख्या 1/2001

स्टेट बनाम जगजीतसिह पुत्र बग्गासिह
निवासी 52 जी जी
तहसील करणपुर
जिला श्री गंगानगर

राजस्थानकृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण
अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के तहत

उपस्थित – राजकीय अधिवक्ता – जरिये स्टेट
श्री गुरविन्द्र सिह एडवोकेट जरिये अप्रार्थी

आदेश 8/4/K

तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी के सीलिग प्रकरण सख्या 1573/73 नया कानून का निर्णय प्राधिकृत अधिकारी करणपुर द्वारा दिनाक 9.2.75 को किया व अप्रार्थी के पास सीलिग सीमा से अधिक रकबा नही होना मानकर कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिये तत्पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय सीलिग कानून के विपरीत व राज्य हितों के प्रतिकूल है । इस पर राज्य सरकार द्वारा पत्रावली का राज्य स्तर पर परीक्षण किया गया व बाद परीक्षण पुनः खोले जाने योग्य मानते हुए अपने आदेश एफ 1(1607)राज/सी/78/823 दिनाक 4.11.82 द्वारा मामला री–ओपन किया जाकर इस न्यायालय को पुर्न सुनवाई व पुनःजाच हेतु प्रेषित किया गया ।

मामला प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया जाकर मामला निर्णित किया गया व अप्रार्थी के विरुद्व निर्णय दिनाक 14.5.99 द्वारा कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिये गये ।

राज्य सरकार की ओर से उक्त निर्णय के विरुद्व राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील पेश की गई । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनाक 30.11.2000 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनाक 14.5.99 अपास्त किया गया व मामला निर्देशित बिन्दुओं के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किया गया ।

मामला प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री गुरविन्द्र सिह एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व साक्ष्य पेश किया । राज्य पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई ।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई । राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि अप्रार्थी के पास 1.1.73 को व बाद मे खरीद की गई भूमि को मिलाकर 163.04 बीघा रकबा था इस आधार पर उसे 4 इकाई का लाभ दिया जाकर पूर्व मे कार्यवाही समाप्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर